

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219728 CG-DL-E-04062020-219728

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] No. 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2020/ज्येष्ठ 14, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 जून, 2020

सा.का.नि.347(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 2020 है।
- (2) ये 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
- 2. रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 1990 के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5. संदाय की रीति.-

5.1 अधिकरण, दावाकर्ता को अधिनिर्णीत रकम की सुरक्षा करने के क्रम में निरक्षरता या अन्य असमर्थित करने वाले कारकों, जो उस रकम के न्यायिक उपयोग का ह्रासन करते हैं, को ध्यान में रखते हुए, वार्षिकीयों, नियत निक्षेपों और अन्य उपयुक्त रीति, जो न्यायिक साधन करेगी, की निबंधनों में, अधिनिर्णय के संवितरण के लिए निदेश जारी कर सकेगा।

2379 GI/2020 (1)

- 5.2 यदि दावाकर्ता एक अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति है तो अधिकरण, वादार्थ संरक्षक को निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकेगा जो अवयस्कता के दौरान भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा।
- 5.3 इस नियम की कोई बात, अधिकरण की दावाकर्ता के फायदे के लिए नियत निक्षेप की वार्षिकी या समयपूर्ण बंदी के लिए सृजित किसी समग्र के अत्यावश्यक अपेक्षित समापन पर निर्भर करते हुए, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, संवितरण की रीति का उपांतरण करने की शक्ति को सीमित नहीं करेगी।
- 5.4 प्रतिकर के संवितरण से संबंधित, एफएओ सं. 22/2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 2017, 24 मई, 2019 और 6 नवम्बर, 2019 के आदेशों और गीता देवी बनाम भारत संघ में सीएम आवेदन सं. 4501/2015 को इस नियम के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।

5.4.1 अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की परीक्षा

- (i) आरसीटी, अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व या उस समय दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की वित्तीय स्थिति/आवश्यकताओं, संवितरण की रीति और नियत निक्षेप की जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के लिए परीक्षा कर सकेगा।
- (ii) आरसीटी, अधिनिर्णीत रकम का संवितरण करने से पूर्व दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को उनके स्थायी निवास स्थान के निकट वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में एक व्यष्टि बचत बैंक खाता खोलने का निदेश देगा और संबंधित बैंक को कोई चेक बुक (बुकें) और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं किए जाने का निदेश देगा और यदि वे पहले से ही जारी किए जा चुके हैं तो बैंक को उन्हें रद्द करने का निदेश देगा और दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की पासबुक पर यह पृष्ठांकन करने का निदेश देगा कि आरसीटी की अनुज्ञा के बिना दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को कोई चेकबुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के संबंधित बैंक को निदेश देगा कि दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को उनके बचत बैंक खाते से धन का आहरण करने की अनुज्ञा केवल आहरण प्ररूप के माध्यम द्वारा दी जाए। दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को आरसीटी द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश देगा जिस पर तत्पश्चात् बैंक को पासबुक पर पृष्ठांकन करने का निदेश देगा। दावाकर्ता को अनुपालन के लिए नियत आगामी तारीख पर आरसीटी के समक्ष आवश्यक पृष्ठांकन के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ पासबुक प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा।
- (iii) आरसीटी दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) से निम्नलिखित दस्तावेजों को अभिलेख पर लेगा:
- (क) आवश्यक पृष्ठांकन के साथ दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के निवास स्थान के बैंक खाते के ब्यौरे ;
- (ख) आधार कार्ड और पैन कार्ड या कोई अन्य समुचित पहचान पत्र : और
- (ग) दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के फोटो और नमूना हस्ताक्षरों के दो सेट।

5.4.2 अधिनिणींत रकम का निक्षेप

आरसीटी रेलवे को अधिनिर्णय की संसूचना की तारीख से तीस दिवस की अविध के भीतर रिजस्ट्रार या आरसीटी को अधिनिर्णीत रकम का निक्षेप करने का निदेश देगा। आरसीटी अधिनिर्णय पारित करते समय यह परीक्षा करेगा कि क्या दावाकर्ता टीडीएस की कटौती से छूट प्राप्त करने के हकदार हैं और यदि ऐसा है तो दावाकर्ता रेलवे के पीठासीन अधिकारी (रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन यथालागू होंगे) को प्ररूप 15छ या प्ररूप 15ज (ज्येष्ठ नागरिकों के लिए) प्रस्तुत करेगा ताकि कोई टीडीएस नहीं काटा जाए।

5.4.3 अधिनिर्णीत रकम का संरक्षण

आरसीटी दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की वित्तीय स्थिति और वित्तीय आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए ऐसी रकम जारी करेगा, जो वह उचित समझे और शेष रकम को वार्षिकी या नियत निक्षेप में रखने का निदेश देगा । उदाहरण के लिए 5.5 लाख रुपए की रकम का प्रतिकर अधिनिर्णित किए जाने की दशा में:- (i) पचास हजार रुपए तुरंत जारी किए जाएंगे और पांच लाख रुपए, पांच वर्ष या ऐसी अवधि के लिए जो आरसीटी समुचित समझे, एफडीआर में रखे जाएंगे, जिस पर मासिक ब्याज दावाकर्ता को उसके बचत बैंक खाते में अंतरण द्वारा जारी किया जाएगा : या

3

(ii) पचास हजार रुपए तुरंत जारी किए जा सकेंगे और शेष पांच लाख रुपए की रकम, दस हजार रुपए की पचास नियत निक्षेपों में दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के नाम से क्रमश: एक मास से पचास मास की अवधि के लिए संचयी ब्याज के साथ रखे जा सकेंगे।

5.4.4 आरसीटी नियत निक्षेपों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित करेगा

- (क) बैंक दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के बचत बैंक खाते या नियत निक्षेप खाते में कोई संयुक्त नाम जोड़ना अनुज्ञात नहीं करेगा अर्थात् दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) का/के बचत बैंक खाता (खाते) एक व्यष्टि बचत बैंक खाता (खाते) होंगे और संयुक्त खाता (खाते) नहीं होंगे।
- (ख) मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के निवास स्थान के निकट के बचत बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस) द्वारा मासिक ब्याज सृजित किया जाएगा।
- (घ) दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के निवास स्थान के निकट के बचत बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस) द्वारा एफडीआर (एफडीआरएस) की परिपक्वता रकम सृजित की जाएगी ।
- (ड.) आरसीटी की अनुज्ञा के बिना नियत निक्षेपों पर कोई ऋण, अग्रिम, आहरण या समय पूर्व उन्मोचन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (च) संबधित बैंक दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को कोई चैक बुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। तथापि डेबिट कार्ड और/या चैक बुक पहले ही जारी किए जा चुकने की दशा में बैंक उसे अधिनिर्णित रकम के संवितरण से पहले रद्द करेगा। बैंक दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के खाते पर रोक लगा देगा ताकि बैंक की किसी अन्य शाखा से दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के खाते के संबंध में कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाए।
- (छ) बैंक दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की पासबुक पर इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा कि कोई चैक बुक और /या डेबिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और आरसीटी की अनुज्ञा के बिना जारी नहीं किए जाएंगे तथा दावाकर्ता (दावाकताओं) अनुपालन के लिए नियत की गई अगली तारीख पर आरसीटी के समक्ष आवश्यक पृष्ठांकन के साथ पासबुक प्रस्तुत करेगा।
- (ज) यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) की पासबुक (पासबुकों) पर बैंक के पदधारियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर और स्टांप के साथ किया गया पृष्ठांकन उपरोक्त खंड (छ) का संतोषप्रद पालन होगा।
- (झ) दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) के संबंधित बैंक को निदेश दिया जाएगा कि दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को उनके बचत बैंक खाते से धन का आहरण करने की अनुज्ञा केवल आहरण प्ररूप के माध्यम द्वारा दी जाए।

5.4.5 आरसीटी अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए तारीख नियत करेगा

- (i) आरसीटी अधिमानत: उसके अधिनिर्णय से नब्बे दिन के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट के लिए तारीख नियत करेगा।
- (ii) रेलवे, गणना शीट के साथ ब्याज की तारीख तक अधिनिर्णीत रकम के निक्षेप का सबूत अभिलेख पर रखेगा।
- (iii) ऐसा सबूत फाइल किए जाने पर आरसीटी यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे द्वारा निक्षेप की सूचना की तारीख तक ब्याज निक्षेप किया जा चुका है।

5.4.6. परिशिष्ट 1 में उल्लिखित 21 बैंकों में राजेश त्यागी बनाम जयबीर सिंह, एफएओ सं. 842/2003 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी निक्षेप (एमएसीएडी) स्कीम कार्यान्वित की गई है। उक्त स्कीम की विशिष्टियां परिशिष्ट 2 में दी गई हैं। सभी उपर्युक्त 21 बैंको रेलवे के अनपेक्षित घटना से पीड़ितों के लिए एमएसीएडी स्कीम को विस्तार करने का निदेश दिया गया है। आरसीटी को समुचित मामलों में उक्त स्कीम के माध्यम से प्रदान की गई रकम को संवितरित करने की स्वतंत्रता है।

[फा. सं. 2019/टी. सी. –III /26/3]

विवेक श्रीवास्तव कार्यकारी निदेशक (लोक शिकायत)

परिशिष्ट 1

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी निक्षेप (एमएसीएडी) स्कीम के लिए अनुमोदित बैंको की सूची

(i)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(ii)	पंजाब नेशनल बैंक
(iii)	यूको बैंक
(iv)	बैंक ऑफ बड़ौदा
(v)	इलाहाबाद बैंक
(vi)	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
(vii)	आईडीबीआई बैंक
(viii)	इंडियन ओवरसीज बैंक
(ix)	आंध्रा बैंक
(x)	बैंक ऑफ इंडिया
(xi)	पंजाब एंड सिंध बैंक
(xii)	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
(xiii)	केनरा बैंक
(xiv)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
(xv)	सिंडिकेट बैंक
(xvi)	कॉरपोरेशन बैंक
(xvii)	देना बैंक
(xviii)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(xix)	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
(xx)	इंडियन बैंक
(xxi)	विजया बैंक

परिशिष्ट 2

5

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी निक्षेप (एमएसीएडी) स्कीम

क्रम सं.	स्कीम की विशेषताएं	विशिष्टियां/ब्यौरे
1.	उद्देश्य	न्यायालय/अधिकरण के निर्णयानुसार एकबारगी एकमुश्त रकम ब्याज के
		साथ ही साथ मूल रकम के भाग के रूप में समाविष्ट समीकृत मासिक
		किश्तों (ईएमआईएस) में उसे प्राप्त करने के लिए जमा की गई है।
2.	पात्रता	एकल नाम में संरक्षक के माध्यम से अवयस्कों सहित व्यष्टि ।
3.	धारण करने की रीति	अकेले।
4.	खाते की किस्म	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वार्षिकी निक्षेप (एमएसीएडी) स्कीम
5.	जमा रकम	i. अधिकतम : कोई सीमा नहीं
		ii. न्यूनतम-सुसंगत अवधि के लिए 1000 हजार रुपए न्यूनतम मासिक वार्षिकी के आधार पर ।
6.	अवधि	i. 36 से 120 मास
		ii. 36 मास से कम की अवधि की दशा में, साधारण एफडी
		खोली जाएगी।
		iii. अधिकतम अवधि (120 मास से अधिक) के लिए एमएसीएडी न्यायालय के निदेशों के अनुसार की जाएगी।
7.	ब्याज की दर	अवधि के अनुसार ब्याज की वर्तमान दर।
8.	रसीद/सलाह	i. जमाकर्ताओं को कोई भी रसीद जारी नहीं की जाएगी
		ii. एमएसीएडी के लिए पासबुक जारी की जाएगी
9.	ऋण सुविधा	काई भी ऋण या अग्रिम की अनुमति नहीं होगी ।
10.	नामांकन सुविधा	i. उपलब्ध ।
		ii. एमएसीएडी न्यायालय के निदेशानुसार सम्यक् रूप से
		नामनिर्देशित की जाएगी ।
11.	समयपूर्व संदाय	i. दावेदार के जीवन अवधि के दौरान एमएसीएडी का
		समयपूर्व बंदी या भागरूप में एकमुश्त संदाय न्यायालय की
		अनुज्ञा से किया जाएगा । तथापि, यदि अनुज्ञा दी जाती है,
		वार्षिकी का भाग अतिशेष अवधि और रकम के लिए,
		वार्षिकी रकम में परिवर्तन के साथ, यदि कोई हो, पुन:
		जारी की जाएगी ।
		ii. समयपूर्व बंदी के लिए शास्ति प्रभारित नहीं की जाएगी ।
		iii. दावेदार की मृत्यु की दशा में, नामनिर्देशिती को संदाय
		किया जाएगा । नामनिर्देशिती को वार्षिकी या पूर्व -बंदी की
		मांग के साथ चालू रखने का विकल्प होगा ।
12.	स्रोत पर कर कटौती	i. कर संदाय आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस के अधीन है । प्ररूप
		15छ/15ज कर कटौती से छूट प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता द्वारा
		प्रस्तुत किया जा सकता है।
		ii. टीडीएस को सकल मासिक के आधार पर वार्षिकी रकम
		एमएसीपी की बचत बैंक खाता में जमा की जाएगी ।

परिशिष्ट 2

एमएसीपी दावा बचत बैंक खाता

विशेषताएं	विशिष्टियां/ब्यौरे
पात्रता	एकल नाम में (संरक्षक के माध्यम से) अवयस्कों सहित व्यष्टि ।
न्यूनतम/अधिकतम अतिशेष	लागू नहीं
की अपेक्षा	
चैक बुक/डेबिट कार्ड/एटीएम	i. त्रुटिवश, ये सुविधाएं इस उत्पाद में उपलब्ध नहीं हैं।
कार्ड/वेलकम किट/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग	ii. तथापि, इन सुविधाओं को पहले से ही जारी किए जाने की दशा
स्विधा	में, न्यायालय पद्रत्त रकम को संवितरित करने से पूर्व उसे रद्द करने
	के लिए बैंक को निदेश देगा ।
	iii. बैंक दावेदार (दावेदारों) के पासबुक पर एक पृष्ठांकन करेगा कि
	कोई भी चैक बुक और/या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है
	और न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा ।
खातों का प्रचालन	i. केवल एकल प्रचालन ।
	ii. अवयस्क खातों की दशा में प्रचालन संरक्षक के माध्यम से किया
	जाएगा ।
प्रत्याहरण	केवल प्रत्याहरण प्ररूप या बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से ।
उत्पाद परिवर्तन	अनुज्ञात नहीं ।
खोलने का स्थान	केवल दावेदार के आवास के स्थान के नजदीक की शाखा पर (न्यायालय के
	निदेशानुसार) ।
खाते का अंतरण	अनुमति नहीं ।
नामनिर्देशन	उपलब्ध ।
पासबुक	उपलब्ध ।
ब्याज की दर	नियमित बचत बैंक खातों के लिए लागू के अनुसार ।
ई-मेल द्वारा विवरण	उपलब्ध ।

बैंक में बचत बैंक खाते की कोई अन्य निबंधन और शर्तें लागू हैं ।

[फा.सं.2019/टीसी-।।।/26/3]

विवेक श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक (लोक शिकायत)

स्पष्टीकारक ज्ञापन- रेलवे दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) संशोधन नियम, 2020 एफएओ 2015 का 22 और 6 नवंबर, 2019 को गीता देवी बनाम भारत संघ सीएम अपील 4501/2015 के मामले में मानीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में 1 जनवरी, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है। उक्त संशोधन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने के द्वारा किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 552(अ), तारीख 7 जून, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंत में सा.का.नि. 592(अ), तारीख 21 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 620(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1997 और सा.का.नि. 1165(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2020

- **G.S.R. 347(E).**—In exercise of Powers conferred by section 129 of the Railways Act,1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990, namely:-
- **1. Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2020.
- **2.** In the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely: -

"5. MODE OF PAYMENT.—

- 5.1 THE TRIBUNAL MAY, IN ORDER TO PROTECT THE SUM AWARDED TO THE CLAIMANT, HAVING DUE REGARD TO THE ILLITERACY OR OTHER DISABLING FACTORS IMPAIRING THE JUDICIOUS USE OF SUCH SUM, ISSUE DIRECTIONS FOR DISBURSING THE AWARD IN TERMS OF ANNUITIES, FIXED DEPOSITS OR OTHER SUITABLE MODE AS SHALL SUBSERVE JUSTICE.
- 5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.
- 5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.
- 5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union Of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

5.4.1 Examination of the Claimant(s) before passing of the award

- (i) RCT shall, before or at the time of passing of the award, examine the claimant(s) to ascertain their financial condition/ needs, mode of disbursement and amount to be kept in fixed deposit.
- (ii) Before disbursement of the award amount, the RCT shall direct the claimant(s) to open an individual savings bank account in a nationalised bank near the place of their permanent residence and the concerned bank be directed to not issue any cheque book(s) and/or debit card(s) to the claimant(s) and if the same have already been issued, the bank be directed to cancel the same and make an endorsement on the passbook of the claimant(s) to the effect that no cheque book and/or debit card shall be issued to the claimant(s) without the permission of the RCT. The concerned Bank of the claimant(s) be directed to permit the claimant(s) to withdraw money from his savings bank account by means of a withdrawal form only. The claimant(s) be directed to produce the copy of the order passed by the RCT before the concerned bank whereupon the bank be directed to make an endorsement on the passbook. The claimant(s) be directed to produce the passbook with the necessary endorsement as well as Aadhaar Card and PAN Card before the RCT on the next date fixed for compliance.
- (iii) RCT shall take the following documents on record from the Claimant(s):
- (a) Details of the Bank Account(s) of the Claimant(s) near the place of their residence with the necessary endorsement;
- (b) Aadhaar Card and PAN Card or any other appropriate ID card; and
- (c) Two sets of photographs and specimen signatures of the Claimant(s).

5.4.2 DEPOSIT OF THE AWARD AMOUNT

The RCT shall direct the Railways to deposit the amount awarded with the Registrar or RCT within a period of 30 days from the date of communication of the award. At the time of passing the award, RCT shall examine whether the Claimant(s) are entitled to exemption of deduction of TDS and if so, the Claimant(s) shall submit Form 15G or Form 15H (for senior citizen) to the Presenting Officer of the Railways (as applicable under sub-section (2) of section 19 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987) so that no TDS is deducted.

5.4.3 PROTECTION OF THE AWARD AMOUNT

The RCT shall, depending upon the financial status and financial need of the Claimant(s), release such amount as may be considered necessary and direct the remaining amount to be kept in annuity or fixed deposit. For Example, in case of award of compensation of amount of Rs.5.5 lakhs:-

- (i) Rs.50,000/- be released immediately and the balance Rs.5,00,000/- be kept in FDR for five years or such period as the RCT may consider appropriate, on which monthly interest be released to the claimant(s) by transferring the same to his savings bank account; or
- (ii) Rs. 50,000/- may be released immediately and the remaining amount of Rs. 5,00,000/- may be kept in 50 fixed deposits of Rs. 10,000/- each, in the name of the Claimant(s), for the period of one month to 50 months respectively, with cumulative interest.

5.4.4 RCT shall impose the following conditions with respect to the fixed deposits

- (a) The Bank shall not permit any joint name(s) to be added in the savings bank account or fixed deposit accounts of the Claimant(s) i.e. the savings bank account(s) of the Claimant(s) shall be an individual savings bank account(s) and not a joint account(s).
- (b) The original fixed deposit shall be retained by the bank in safe custody. However, the statement containing FDR number, FDR amount, date of maturity and maturity amount shall be furnished by bank to the Claimant(s).
- (c) The monthly interest be created by Electronic Clearing System (ECS) in the savings bank account of the Claimant(s) near the place of their residence.
- (d) The maturity amounts of the FDR(s) be credited by Electronic Clearing System (ECS) in the savings bank account of the Claimant(s) near the place of their residence.
- (e) No loan, advance, withdrawal or pre-mature discharge be allowed on the fixed deposits without permission of the RCT.
- (f) The concerned bank shall not issue any cheque book and/or debit card to the Claimant(s). However, in case the debit card and/or cheque book have already been issued, bank shall cancel the same before the disbursement of the award amount. The bank shall freeze the account of the Claimant(s) so that no debit card be issued in respect of the account of the Claimant(s) from any other branch of the bank.
- (g) The bank shall make an endorsement on the passbook of the Claimant(s) to the effect that no cheque book and/or debit card have been issued and shall not be issued without the permission of the RCT and Claimant(s) shall produce the passbook with the necessary endorsement before the RCT on the next date fixed for compliance.
- (h) It is clarified that the endorsement made by the bank along with the duly signed and stamped by the bank official on the passbook(s)of the Claimant(s) is sufficient compliance of clause(g) above.
- (k) The concerned Bank of the claimant(s) be directed to permit the claimant to withdraw money from his savings bank account by means of a withdrawal form only.

5.4.5 RCT SHALL FIX A DATE FOR REPORTING COMPLIANCE

- (i) RCT shall fix a date for reporting compliance, preferably within 90 days of the award itself.
- (ii) Railway shall place on record the proof of deposit of the award amount with up to date interest along with a calculation sheet.
- (iii) Upon such proof being filed, RCT shall ensure that the interest up to the date of notice of deposit has been deposited by the Railways.

5.4.6. Twenty One Banks mentioned in Appendix-I have implemented Motor Accident Claims Tribunal Annuity Deposit (MACAD) Scheme on the directions of the Delhi High Court in Rajesh Tyagi Vs. Jaibir Singh, FAO No.842/2003. The particulars of the said Scheme are given in Appendix-II. All the aforesaid twenty one banks have been directed to extend the MACAD Scheme to the victims of the untoward incident of Railways. The RCT is at liberty to disburse the award amount through the said Scheme in appropriate cases.

[F. No. 2019/TC-III/26/3]

VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grivances)

APPENDIX-1

<u>LIST OF APPROVED BANKS FOR IMPLEMENTATION OF MOTOR ACCIDENT CLAIMS</u> <u>ANNUITY DEPOSIT (MACAD) SCHEME</u>

- (i) State Bank of India
- (ii) Punjab National Bank
- (iii) UCO Bank
- (iv) Bank of Baroda
- (v) Allahabad Bank
- (vi) Oriental Bank of Commerce
- (vii) IDBI Bank
- (viii) Indian Overseas Bank
- (ix) Andhra Bank
- (x) Bank of India
- (xi) Punjab and Sind Bank
- (xii) Bank of Maharashtra
- (xiii) Canara Bank
- (xiv) Central Bank of India
- (xv) Syndicate Bank
- (xvi) Corporation Bank
- (xvii) Dena Bank
- (xviii) Union Bank of India
- (xix) United Bank of India
- (xx) Indian Bank
- (xxi) Vijaya Bank

APPENDIX-II

MOTOR ACCIDENT CLAIMS ANNUITY DEPOSIT (MACAD) SCHEME

S. No.	Scheme Features	Particulars/Details
1	Purpose	One time lump sum amount, as decided by the Court / Tribunal, deposited to receive the same in Equated Monthly Installments (EMIs), comprising a part of the principal amount as well as interest.
2	Eligibility	Individuals including Minors through guardian in single name.
3	Mode of Holding	Singly
4	Type of account	Motor Accident Claims Annuity (Term) Deposit Account (MACAD)
5	Deposit Amount	i. Maximum: No Limit
		ii. Minimum—Based on minimum monthly annuity Rs.1,000/- for the relevant period.
6	Tenure	i. 36 to 120 months
		ii. In case the period is less than 36 months, normal FD will be opened.
		iii. MACAD for longer period (more than 120 months) will be looked as per direction of the Court.
7	Rate of interest	Prevailing rate of interest as per Tenure.
8	Receipts/Advices	i. No Receipts will be issued to depositors.
		ii. Passbook will be issued for MACAD
9	Loan Facility	No loan or advances shall be allowed.
10	Nomination facility	i. Available.ii. MACAD shall be duly nominated as directed by the court.
11	Premature Payment	 i. Premature closure or part lump sum payment of MACAD during the life of the claimant will be made with permission of the court. However, if permitted, the annuity part will be reissued for balance tenure and amount, if any, with change in annuity amount. ii. Premature closure penalty will not be charged. iii. In case of death of the claimant, payment to be given to the nominee. The nominee has an option to continue with the annuity or seek pre-closure.
12	Tax deduction at source	 i. Interest payment is subject to TDS as per Income Tax Rules. Form 15G/15H can be submitted by the Depositor to get exemption from the Tax deduction. ii. The annuity amount on monthly basis net of TDS, will be credited to the MACT Savings Bank account.

APPENDIX-II

MACT CLAIMS SB ACCOUNT

Features	Particulars / Details			
Eligibility	Individuals including Minors (through guardian) in single name			
Minimum/Maximum Balance Requirement	Not applicable			
Cheque book / Debit Card / ATM Card / Welcome Kit/ Internet Banking / Mobile Banking facility	 i. By default, these facilities are not available in this product. ii. However, in case these facilities have already been issued, the court shall direct the bank to cancel the same before the disbursement of the award amount. iii. The bank shall make an endorsement on the passbook of the claimant(s) to the effect that no cheque book and/or debit card have been issued and shall not be issued without the permission of the Court. 			
Operations in the account	i. Only single operation.ii. In case of Minor accounts, the operation will be through guardian.			
Withdrawals	Only through Withdrawal Forms or through Bio-Metric authentication.			
Product change	Not permitted			
Place of Opening	Only at the Branch near to the place of residence of Claimant (as directed by the Court).			
Account Transfer	Not allowed			
Nomination	Available			
Passbook	Available			
Rate of Interest	As applicable to Regular SB accounts			
Statement by e-mail	Available			
Any other terms and conditions of SB account in Bank are applicable.				

[F.No. 2019/TC-III/26/3]

VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grievances)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment rules, 2020 has been given retrospective effect from the 1st day of January, 2020 to comply the Judgment of Hon'ble High Court of Delhi in FAO 22 of 2015 and CM APPL 4501/2015 in Geeta Devi Vs. Union of India dated 6th November, 2019. By giving retrospective effect to the said amendment rules no person interest will adversely get affected.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 552 (E) dated 07th June,1990 and lastly amended vide G.S.R. 592 (E) dated 21st July, 1994, G.S.R. 620(E) dated 25th October, 1997 and G.S.R. 1165(E) dated 22nd December, 2016.